

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1295] No. 1295] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 2, 2018/चैत्र 12, 1940

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 2, 2018/CHAITRA 12, 1940

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2018

का.आ. 1433(अ).—वित्त अधिनियम, 2018 (वर्ष 2018 का 13) की धारा 113 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय VIII के खण्ड । के लागू होने की तारीख के रूप में 1 अप्रैल, 2018 को नियत करती है।

[फा. सं. 2/12/2006-एनएस]

प्रशांत गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2018

S.O. 1433(E).—In exercise of the powers conferred by section 113 of the Finance Act, 2018 (13 of 2018), the Central Government hereby appoints the 1st day of April, 2018 as the date on which the Part I of Chapter VIII of the Act shall come into force.

[F. No. 2/12/2006-NS]

PRASHANT GOYAL, Jt. Secy.

1926 GI/2018